फर्द अहकाम

कैलाश वगै० वनाम सरकार वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 297/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	18/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसका मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू. राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली कॉलम 23 अमल होकर नियम के तहत बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
297 / 2024	27.06.2024	18.03.2025

1. कैलाश पुत्र रामगोपाल
2. रमेश पुत्र रामगोपाल
3. किशन पुत्र रामकरण
4. घनश्याम पुत्र रामकरण
5. मुकेश पुत्र रामकरण
6. विष्णु पुत्र रामकरण
7. मुन्नी देवी पत्नि रामकरण
8. सुमन पुत्री रामकरण
9. बद्री नारायण पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री अरविन्द शर्मा : — वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम
बाबत नक्शा दुरूस्ती

—:निर्णय :—

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 0.8700है0 के साबिक खसरा नम्बर 252मि. स्थित है जो ग्राम बूज पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 में स्थित है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने नवीन नक्शा छोटा करते हुये पूर्व नक्शें से भिन्न नक्शा बनाते हुये अंकित कर दिया है तथा खसरा नम्बर 193 का नक्शा बढाते हुये कायम कर दिया है जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रह है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शे का मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है जिस कारण नवीन नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि पूर्व नक्शें अनुसार नापझोक करने पर सही आती है जिससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा कम करके कायम किया गया है तथा दिनांक 19.06.2024 को पत्थरगढी करवाने पर प्रार्थीगण को मालूम चला कि जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह छोटा बनाकर कायम किया गया है। जिस कारण प्रार्थीगण के लिए उक्त दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट के दौरान जो नवीन नक्शा कायम किया है वह पूर्व नक्शे व मौका कब्जा काश्त के विपरित जाते हुये कायम किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही है तथा जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना मौके की जॉच व बिना रिकार्ड की जॉच किये व बिना पूर्व नक्शे की जॉच किये ही कायम किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही था। जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला

अधिकारी है। अतःप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 0.8700है0 के नवीन नक्शें को पूर्व नक्शे अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24 /104 दिनांक 08.01.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम बूज के खसरा नम्बर 326 रकबा 0.87है0 के साबिक नं0 252मि. वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगणों का खसरा नम्बर 326 पर कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 326 का रकबा जमाबन्दी की तुलना में नक्शे में कम है। खसरा नम्बर 326 की उत्तर पश्चिम सीमा से लगता हुआ खसरा नम्बर 193 साबिक नं0 146 का नक्शा एकीकरण नक्शें की शीट में छोटा था जिस नवीन सेटलमेंट मे खसरा नम्बर 326 की ओर लगभग 4 मी0 बढा दिया गया है। जो कि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः खसरा नम्बर 326 की उत्तर पश्चिम सीमा जो कि खसरा नम्बर 193 के लगती हुई है को पूर्व एकीकरण नक्शें अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

वकील प्रार्थीगणं व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बूज, तहसील बूज, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 326 रकबा 0.87है0 साबिक नं0 252मि. को पूर्व एकीकरण नक्शे व प्रस्तावित नक्शें अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़